रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1993/कार्तिक 14, 1915
No. 662] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 5, 1993/KARTIKA 14, 1915

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के समाहर्ता का कार्यालय

पुणे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

अधिसूचना संख्या 08/1993

पुणे, 22 अक्तबर, 1993

का.आ. 854(अ)—व्यापार का ध्यान पुणे समाहर्तालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या—12/87 की ओर आकृष्ट किया जा रहा है। पूर्वोक्त की इस अधिसूचना में आंशिक परिवर्तन करते हुए, मैं एतद्द्वारा, इस परिसर में उपलब्ध बन्द गोदाम के साथ-साथ इसी परिसर के और 2100 वर्ग फुट क्षेत्र के अन्य खुले गोदाम को कस्टम्स पब्लिक का बांडेड वेयरहाउस के रूप में घोषित/नियुक्त कर रहा हूं।

इस खुले गोदाम का क्षेत्र विस्तार 60 मीटर्स × 35 मीटर्स अर्थात् 2100 वर्ग मीटर्स है। इसकी उत्तर तथा पूर्व बाजू में दो ओपन वाल्स और दक्षिण बाजू में स्टाफ क्वार्टर्स हैं जो 20 फुट चौड़ाई के सड़क के पार हैं और पश्चिम बाजू में 20 फीट चौड़ाई की सड़क है।

बन्द गोदाम है—23.46 मीटर्स × 5.46 मीटर्स = 128.0916 वर्ग मीटर्स (पहले की अधिसूचना सं. 12/87 के विनिर्देश के अनुसार)।

उपर्युक्त पब्लिक बांडेड वेअरहाउस, केन्द्रीय मालगोदाम निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यभार के नियंत्रण में रहेगा (कार्यालय केन्द्रीय मालगोदाम निगम वेअरहाउस प्रबंधक को, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 62(1) के अधीन वेअरहाउस कीपर पर नियुक्त किया गया है । तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 63 के अधीन यथासमय निश्चित किया जाने वाला किराया तथा वेअरहाउस चार्जेस वसूल करने के लिये प्राधिकृत किया जा रहा है।

[फाइल सं. VIII(कस्टम्स) 48-14/टी सी/87]
वि.कु. अष्ठाना, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

PUNE CENTRAL EXCISE & CUSTOMS COLLECTORATE

NOTIFICATION NO. 8|93

Pune, the 22nd October, 1993

S.O. 854(E).—Attention of the trade is invited to Pune Collectorate Notification No. 12|87. In modification of this earlier notification, the undersigned hereby appoints another 2400 sq. ft. of open-godown in the same premises as well as existing closed godown to be appointed as customs public bonded warehouse.

Open Godown measuring 60m×35m=2100 sq. mtrs. with two open yards to the North & East Side, Staff quarters in the South separated by 20 ft. road and a 20 ft. road on the West side.

Closed Godown E—23.46m×5.46m=128.0916 sq. mtrs. (as in the previous Notification No. 12|87).

The public bonded warehouse will remain under the charge of Regional Manager, CWC Regional Office Baldota Bhawan, M. K. Road, Bombay-20; and the Warehouse Manager of C.W.C. at Sanaswadi has been appointed as the Warehouse Keeper under Section 62(1) of the Customs Act, 1962 and authorised under Section 63 of the Customs Act, 1962 to collect rent and warehouse charges at the rates as may be fixed.

[F. No. VIII(CUS)48-14|TC|87]
V. K. ASHTANA, Collector.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993